दूरभाष (का0) 0135–2676260
फैक्सः 0135–2676177

उत्तराखण्ड जल संस्थान

'जलभवन' बी–ब्लॉक, नेहरू कालोनी, देहरादून।

पत्रांकः ५२३१ / कार्मिक / 01 / अधि0नि0क0अभि0 / 2011–12 दिनांक : 07-10-11

सेवा में,

श्री महेन्द्र पाल सिंह
पुत्र श्री इन्द्रपाल सिंह ग्राम–नारायनपुर,
डा0–कोठीखिदमत पुर जिला–जे0पी0 नगर
अमरोह राज्य उत्तर प्रदेश।
पिन–244501

विषयः– उत्तराखण्ड जल संस्थान में कनिष्ठ अभियंता के पद पर नियुक्ति के सम्बन्ध में।

संयुक्त अवर / कनिष्ठ अभियंता चयन परीक्षा 2005 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आपकी चयन संस्तुति की गयी है। उपरोक्त के क्रम में मुझे यह कहने के निर्देश हुये है कि आप दिनांक 25 नवम्बर, 2011 तक किसी भी कार्यदिवस में निम्न प्रमाण पत्र / अभिलेख व्यक्तिगत रुप से अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायें। यदि निर्धारित तिथि तक वांछित अभिलेख प्राप्त नहीं कराये जाते हैं तो यह माना जायेगा कि आप उत्तराखण्ड जल संस्थान में कार्य करने के इच्छुक नहीं है तथा उक्त तिथि के पश्चात विभाग आपकी अभ्यर्थितता निरस्त करने की संस्तुति उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग को कर सकता हैः–

1 आयु की पुष्टि हेतु कोई प्रमाण पत्र मूलरुप में।
2 पुरुष अभ्यर्थियों का एक से अधिक जीवित पत्नी न होने का घोषणा पत्र तथा महिला अभ्यर्थियों का ऐसे पुरुष से विवाह न करने का घोषणा पत्र जिसकी पहले से ही एक जीवित पत्नी हों।
3 दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी जो सक्रिय सेवा में हों एवं आपके निजी जीवन से पूर्णरुप से परिचित हों एवं आपके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र तथा संस्था जिसमें अन्तिम बार पढ़े हों, के मुख्य अध्यक्ष द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र।
4 स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल–अचल सम्पत्ति का घोषणा पत्र।
5 आपकी शैक्षिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र मूल में।
6 शैक्षिक योग्यता के अतिरिक्त कोई अन्य अर्हता रखते हों तो उसके प्रमाण–पत्र मूल में।
7 जिन अभ्यर्थियों के द्वारा किसी आरक्षण के अन्तर्गत आवेदित किया हो, उनका उस आरक्षण से संबंधित प्रमाण–पत्र मूलरुप में (महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण को छोड़कर)।
8 पासपोर्ट साईज के दो नवीनतम् रंगीन फोटो।
९. जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त शारीरिक स्वस्थता का चिकित्सीय प्रमाण पत्र।

(एस.के. गुप्ता)
सचिव (प्रशासन)

letter secyadm 01 sep 11